

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्रीमती रूकमा देवी पत्नि दीपचन्द बलाई जाति माली निवासी छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादीया

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 599/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1129


आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम छापर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 175,342 में वादीया के पुत्र का गलत दर्ज नाम "अशोक पु. दीपचन्द" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "आकाश पुत्र दीपचन्द" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।



  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)



# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. श्रीमती रूकमा देवी पत्नि दीपचन्द बलाई जाति माली निवासी छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।  
-वादीया

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।  
-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 599 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम छापर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 175,342 में वादीया के पुत्र का गलत दर्ज नाम "अशोक पु. दीपचन्द" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "आकाश पुत्र दीपचन्द" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

.निज.....मुबलिंग.....बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....

...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर



रूपये	वैसे	मुद्दायलह	रूपये	वैसे
		स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)
		मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।